अगस्त, 2019 माह के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, उल्लेखनीय घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत, एक घोषणा जारी की गई। इस घोषणा के बाद जम्मू और कश्मीर के संविधान में निहित किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 370 के सभी खण्ड लागू नहीं रह जाएंगे और भारत के संविधान के सभी उपबंध बिना उपांतरणों या अपवादों के जम्मू और कश्मीर पर लागू रहेंगे।

2. अनुच्छेद 370(1) के अंतर्गत संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 जारी किया गया जिसके द्वारा बिना अपवादों और उपांतरणों के भारत के संविधान के सभी उपबंधों को लागू किया गया। इस प्रकार, जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 35क हटाया गया तथा अन्य संवैधानिक अस्पष्टताएं दूर की गईं।

3. इस माह के दौरान, मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य को विधान सभा सहित उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा बिना विधान सभा वाले उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठित करने से संबंधित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित किया गया और इस पर भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सहमति दी गई। केन्द्रीय सरकार ने पुनर्गठन अधिनियम के प्रयोजन के लिए "नियत दिन" को 31 अक्तूबर, 2019 के रूप में अधिसूचित किया है। नियत दिन को प्रवृत्त होने से पूर्व, भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्रवाइयां की जानी हैं। इस प्रयोजन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे उन सभी कार्रवाइयों जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा की जानी अपेक्षित हैं, को पूरा करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें जिसकी सूचना गृह मंत्रालय को भी दें।

4. भारत-बांग्लादेश गृह मंत्री स्तरीय वार्ता की सातवीं बैठक दिनांक 07.08.2019 को नई दिल्ली में हुईं। गृह मंत्री स्तरीय वार्ता की बैठक की सह-अध्यक्षता श्री अमित शाह, भारत के केन्द्रीय गृह मंत्री तथा श्रीमान् असदुज़्ज़मां खान, गृह मंत्री, बांग्लादेश द्वारा की गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने संबंधी उपायों सहित सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों और पारस्परिक सहयोग आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

5. सिंगापुर गणराज्य के माननीय गृह मंत्री तथा विधि मंत्री श्रीमान् के. षण्मुगम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारत सरकार के शिष्टमंडल से दिनांक 31 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में मुलाकात की जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई।

6. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने एसआरई (पुलिस) के अंतर्गत 540.00 करोड़ रुपए तथा एसआरई (आर एंड आर) के अंतर्गत 159.76 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की है। चल रही योजना के अंतर्गत पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर तथा छाम्ब से विस्थापित व्यक्तियों को अब तक 133.10 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

7. मानसून सत्र के दौरान, संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,2019 पारित किया गया और इन नियमों के उपबंध क्रमश: 02 अगस्त, 2019 और 14 अगस्त, 2019 को लागू किए गए।

8. आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 07 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध दाखिल किए गए आरोप-पत्र हेतु अभियोजन चलाने की संस्वीकृति प्रदान की गई।

9. सिटिजन सेंट्रिक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in बनाया गया यह पोर्टल दिनांक 30.08.2019 से चालू हो गया। इस पोर्टल पर सामान्य जनता साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेगी जिसमें पुलिस थाना गए बिना अपनी शिकायतें दर्ज की जा सकेगी और इसमें महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

10. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमि) को दिनांक 27 अगस्त, 2019 को एक विधिविरुद्ध संघ घोषित किया गया।

11. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत जमात-ए-इस्लामी (जेइएल), जम्मू और कश्मीर को दिनांक 30 अगस्त, 2019 को एक विधिविरुद्ध संघ घोषित किया गया।

12. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 तारीख 01 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया जो 02 अगस्त, 2019 से प्रभावी है।

13. इस माह के दौरान 28 मामलों जिनमें 07 विदेशी नागरिकों (एक सूरीनामी, एक नाइजीरियाई और पांच अफगानी) सहित 66 व्यक्तियों को ड्रग दुर्व्यापार (ड्रग ट्रैफिकिंग) में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। 3,649 किलोग्राम से अधिक नारकोटिक्स पदार्थ जब्त किए गए हैं।

14. श्री सबीर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व में भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्वीप्रा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2019 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्वीप्रा हिंसा का मार्ग छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का अनुपालन करने के लिए सहमत हुआ है। इसके फलस्वरुप, दिनांक 13.08.2019 को आयोजित आत्म-समर्पण समारोह में इसके 88 काडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्म-समर्पण किया।

15. विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए गठित बहुनु अनुशासन समिति की दूसरी बैठक दिनांक 16.08.2019 को नई दिल्ली में हुई।

16. के एन ओ (कुकी नेशनल आर्गनाइजेशन) और यू पी एफ (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट) ऑफ मणिपुर के साथ हुए सैन्य कार्रवाई करार के स्थगन को छह माह की और अवधि 29.02.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

17. वामपंथी उग्रवाद की स्थिति तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की स्थिति और इन राज्यों में विकास की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्रियों के साथ दिनांक 26.08.2019 को एक बैठक हुई।

18. अगस्त माह में, केन्द्रीय गृह सचिव ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा राज्य सरकारों और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां तीनों राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती हैं, वहां महाराष्ट्र सरकार के साथ उनके राज्य में वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य की छमाही समीक्षा की जानकारी साझा की।

19. माह अगस्त, 2019 के दौरान, बीएडीपी के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार को 5109.00 लाख रुपए जारी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष (2019-20) (31.08.2019 तक) के दौरान, बीएडीपी के अंतर्गत कुल 22747.81 लाख रुपए की कुल निधि जारी की गई है।

20. आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संस्थापना को अनुमोदित किया गया है और इसका शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को न्यूयार्क में होने वाले जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में किया जाएगा।

21. माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की ओर से तीन राज्यों को 4432.10 करोड़ रुपए अर्थात कर्नाटक (सूखा-रबी) को 1029.39 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश (हिम स्खलन, ओलावृष्टि, भू-स्खलन) को 64.49 करोड़ रुपए और ओडिशा (चक्रवात-फॉनी) के लिए 3338.00 करोड़ रुपए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गईं।

22. माननीय भारत के राष्ट्रपति जी ने दिनांक 08 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में हुए अलंकरण समारोह में श्री नाना जी देशमुख (मरणोपरांत), डॉ. भूपेन्द्र कुमार हजारिका (मरणोपरान्त) और श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया।

23. इस माह के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पांच राज्य विधेयकों की स्वीकृति प्रदान की गई है : गुजरात कृषि भूमि सीमा (संशोधन) विधेयक, 2019, तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल (विनियम) विधेयक, 2018, त्रिपुरा उद्योग (सुविधा) विधेयक, 2018, भूमि अर्जन पुनर्वास और बंदोबस्त (तमिलनाडु दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार और रजिस्ट्रीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 ।

24. स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कार्मिकों को शौर्य के लिए 03 राष्ट्रपति पुलिस पदक, शौर्य के लिए 177 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 89 राष्ट्रपति पुलिस पदक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 680 पुलिस पदक प्रदान किए गए।

25. विभिन्न राज्यों की पुलिस/संगठनों के 14 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2018 में जीवन बचाने के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक प्रदान किया गया।

26. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के 96 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को "वर्ष 2019 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक" प्रदान किए गए। विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के 245 प्रशिक्षकों को वर्ष 2017-18 के लिए "पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक" प्रदान किए गए।

27. आई आर बटालियन की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 52.38 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 3.3 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गईं।

28. शुक्रवार की नमाज़, बकरीद महोत्सव, अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के फलस्वरुप स्वतंत्रता दिवस समारोह, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और मुहर्रम महोत्सव, हरियाणा में कारागारों की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, असम, दादरा और नगर हवेली में ड्यूटी के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कुल 88 कंपनियों की तैनाती की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह-2019 के दौरान, सुरक्षा प्रबंधन के लिए दिल्ली पुलिस को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 930 कमांडो प्रदान किए गए।

29. नागरिकता (नागरिकता का विनियमन और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 से अनुबद्ध अनुसूची के पैरा 8 का संशोधन दिनांक 01.08.2019 को अधिसूचित किया गया जिसमें विदेशी अधिकरणों में अपील दाखिल करने की समय-सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है।

30. रिट याचिका (सिविल) 274/2009 में दिनांक 13.08.2019 को पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में निहित निदेशों के अनुसार, सभी का समावेश करते हुए, एनआरसी की अनुपूरक सूची दिनांक 31.08.2019 को प्रकाशित की गई है।

* * * * * * *